

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

१९१६
०५०५१७

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ

ग्राम्य विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2013

विषय:—भारत सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त तकनीकी सहयोग (टेक्निकल एसिस्टेन्स) से पूर्वी उत्तर प्रदेश हेतु प्रस्तावित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता से पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल की उपलब्धता बढ़ाने हेतु एक परियोजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी गई है। योजना के अधीन विश्व बैंक से धनराशि भारत सरकार को ऋण के रूप में प्राप्त होनी है और राज्य धनराशि विश्व बैंक से ऋण के रूप में होगी तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राविधानित केन्द्रांश एवं राज्यांश के द्वारा बराबर— बराबर अर्थात् 25%-25% उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना की स्वीकृति की तिथि से पूर्व परियोजना की तैयारी चरण (प्री प्रोजेक्ट फेज) में होने वाले व्ययों के भुगतान हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत शतप्रतिशत केन्द्र पोषित सपोर्ट फण्ड के मद से ₹0 1.50 करोड़ की धनराशि व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है, जिसकी प्रतिपूर्ति कालान्तर में विश्व बैंक द्वारा “रिट्रोएक्टिव” फाइनेन्सिंग के अन्तर्गत की जायेगी। परियोजना की अवधि 2013-14 से 6 वर्ष होगी।

2— विश्व बैंक सहायतित उपर्युक्त परियोजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु उपलब्ध होने वाली अनुमानित कुल ₹0 1656.00 करोड़ की धनराशि में से ₹0 1088.00 करोड़ पेयजल अवस्थापना के मद में व्यय किया जायेगा। परियोजनाधीन स्वच्छता कार्यक्रम, भारत सरकार द्वारा संचालित निर्मल भारत अभियान (सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान) का पूरक होगा एवं विश्व बैंक परियोजना के अधीन स्वच्छता कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त रूप से ₹0 232.00 करोड़ की उपलब्धता अनुमानित है। परियोजना के दिशा-निर्देशानुसार कार्यक्रम जनपद व्यापी एप्रोच के आधार पर कियान्वित किया जायेगा ताकि उसका इम्पैक्ट स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो सके। परियोजना के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाली धनराशि के दृष्टिगत भूर्गम से परियोजना के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाली धनराशि के दृष्टिगत भूर्गम जल की कमी वाले तथा गुणता प्रभावित उत्तर प्रदेश के पूर्वी अंचल के जनपद—कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, गोण्डा, इलाहाबाद, बस्ती, बहराइच, बलिया, गाजीपुर एवं सोनभद्र के 1300 पंचायतों में 731 पेयजल योजनाएँ तथा स्वच्छता कार्यक्रम निर्मानुसार 03 चरणों में संचालित किये जायेंगे :—

..... 2 ...

महोदय
३१/३

प्रथम चरण (अगस्त, 2013 से अगस्त, 2016)

क्र०सं०	जनपद	एकल बसावट योजना	एकल ग्राम (बहुबसावट) योजना	ग्राम समूह पेयजल योजना	बड़ी ग्राम समूह पेयजल योजना
1	कुशीनगर	3	17	1	0
2	देवरिया	3	17	1	0
3	गोरखपुर	4	18	1	0
4	गोण्डा	3	17	1	0
5	इलाहाबाद	4	18	2	0
6	बस्ती	3	17	3	0
7	बहराइच	3	18	1	0
8	बलिया	3	17	0	1
9	गाजीपुर	3	17	1	0
10	सोनभद्र	3	17	2	0
	योग	32	173	13	1

द्वितीय चरण (अगस्त, 2014 से जुलाई, 2017)

क्र०सं०	जनपद	एकल बसावट योजना	एकल ग्राम (बहुबसावट) योजना	ग्राम समूह पेयजल योजना	बड़ी ग्राम समूह पेयजल योजना
1	कुशीनगर	5	21	1	
2	देवरिया	5	21	1	
3	गोरखपुर	5	21	1	
4	गोण्डा	5	21	1	
5	इलाहाबाद	5	21	0	1
6	बस्ती	5	21	0	
7	बहराइच	5	21	1	1
8	बलिया	5	21	1	
9	गाजीपुर	5	21	1	
10	सोनभद्र	5	20	1	
	योग	50	209	8	2

तृतीय चरण (अप्रैल 2015 से जुलाई, 2018)

क्र०सं०	जनपद	एकल बसावट योजना	एकल ग्राम (बहुबसावट) योजना	ग्राम समूह पेयजल योजना	बड़ी ग्राम समूह पेयजल योजना
1	कुशीनगर	5	20	1	
2	देवरिया	4	20	0	
3	गोरखपुर	5	20	1	
4	गोण्डा	4	19	1	
5	इलाहाबाद	5	20	1	
6	बस्ती	5	19	0	
7	बहराइच	5	20	1	
8	बलिया	4	20	2	
9	गाजीपुर	4	19	1	
10	सोनभद्र	5	19	0	
	योग	46	196	8	

3— एकल बसावट योजनाओं तथा एकल ग्राम योजनाओं का कियान्वयन, ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा जल निगम व “सपोर्ट आर्गनाइजेशन” (एसओओ) के सहयोग से किया जायेगा। बहुल ग्राम परियोजनाओं का कियान्वयन उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किया जायेगा तथापि इनके प्रत्येक ग्राम की सीमा के अन्दर, पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन का

दायित्व सम्बन्धित ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति का होगा। बड़ी ग्राम समूह परियोजना आवश्यकतानुसार "पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप" के आधार पर भी कियान्वित की जा सकती है।

4- भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार एकल बसावट तथा एकल ग्राम योजनाओं के कियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं तथा जन सहभागिता की भूमिका को प्रोत्साहित करने हेतु सहयोगी संगठनों (सपोर्ट आर्गनाइजेशन) के द्वारा शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता एवं योजनाओं की प्रारम्भिक रचना हेतु सहयोग दिया जाना है। समुदाय आधारित परियोजनाओं में समुदाय के सदस्यों की ओर से प्रतीक रूप में अंशदान भी लिया जायेगा, ताकि उनमें योजना के प्रति लगाव एवं स्वामित्व (ओनर शिप) की भावना सुदृढ़ हो। भारत सरकार की नीति के अनुसार प्रारम्भ में इन योजनाओं के अनुरक्षण में आने वाले व्यय का 50 प्रतिशत भाग समुदाय के अंशदान द्वारा वहन किया जाना चाहिए तथा इसमें समय के साथ उत्तरोत्तर वृद्धि होनी चाहिए।

5- इस परियोजना के अन्तर्गत लक्षित ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के कार्य के साथ-साथ स्वच्छता कार्यक्रम भी सम्मिलित है। प्रदेश में ग्रामीण स्वच्छता सम्बन्धी कार्य पंचायती राज विभाग द्वारा सम्पादित किये जाते हैं, जबकि ग्रामीण पेयजल का उत्तरदायित्व ग्राम्य विकास विभाग पर है, जो इस कार्य को मुख्यतः नगर विकास विभाग के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कियान्वित कराता है। अतएव परियोजना के सफल एवं समयबद्ध कियान्वयन सुनिश्चित करने तथा तीनों विभागों के कार्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों व विभागाध्यक्षों की प्रत्येक त्रैमास में एक बार कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जायेगी।

6- ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधीन राज्य स्तर पर परियोजना प्रबन्धन इकाई तथा जनपद स्तर पर जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई का गठन किया जायेगा। परियोजना के सफल कियान्वयन हेतु इसके अन्तर्गत राज्य, जनपद एवं ग्राम स्तरों पर सभी प्रतिभागी अधिकारियों, कर्मचारियों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा ग्रामीण समुदाय की क्षमता एवं कौशल वृद्धि हेतु व्यापक प्रशिक्षण एवं सूचना शिक्षा एवं संचार (आई०ई०सी०) सम्बन्धी कार्यों तथा पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जायेगा। कार्यक्रम में जन सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी। विश्व बैंक सहायतित परियोजना के कियान्वयन में प्राप्त अनुभव के आधार पर संस्थागत विकास की आवश्यकता के परिणेक्ष्य में कालान्तर में प्रशिक्षण, तकनीकी विकास / सहायता तथा क्षमता संवर्धन आदि को देखते हुए विभागीय स्तर पर संगठनात्मक ढांचे का विकास किया जायेगा। विश्व बैंक एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए परियोजना को यथासम्भव आगामी तीन माह में अन्तिम रूप दिया जाना प्रस्तावित है।

7- परियोजना को निर्धारित समय सारणी के अन्तर्गत प्रारम्भ एवं पूर्ण किये जाने की अपरिहार्यता के दृष्टिगत समय-समय पर परियोजना की तैयारी एवं संचालन हेतु आवश्यक विभिन्न नीतिगत बिन्दुओं पर त्वरित निर्णय लिए जाने हेतु राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) / विभागीय मंत्री, ग्राम्य विकास अधिकृत होंगे।

8- कृपया उक्त वर्णित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का समयबद्ध रूप से कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
राजीव कुमार
(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 710 (1) / अडतीस-5-2013, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. स्टाफ ऑफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
5. प्रमुख सचिव, नगर विकास/ वित्त/नियोजन/पंचायती राज/बाह्य सहायतित परियोजना विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. मण्डलायुक्त, गोरखपुर, इलाहाबाद, देवीपाटन मण्डल गोण्डा, बस्ती, विन्ध्याचल मण्डल, आजमगढ़ एवं वाराणसी।
7. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/ जिला विकास अधिकारी, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, गोण्डा, इलाहाबाद, बस्ती, बहराइच, बलिया, गाजीपुर एवं सोनभद्र।
8. निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
10. डा० स्मिता मिश्रा, सीनियर इकोनोमिस्ट, विश्व बैंक, 70 लोधी स्टेट, नई दिल्ली।
11. निदेशक, पेयजल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन, लखनऊ।

आज्ञा से,



(राकेश कुमार ओझा)

सचिव।